1. वादी ने वादपत्र प्रस्तुत का कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया के खसरा संख्या 1008 रकबा 2.7680 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1010/7 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के राजस्व रेकर्ड मे वादीया के गलत नाम भंवराई पत्नि अमरा के स्थान पर उसका सही व दस्तावेजी नाम भरपाई पत्नि अमरा का संशोधन कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया किये जाने का घोषणा का अनुतोष चाहा है।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण का जवाब दावा का अवलोकन किया गया। जिसमें कथन किया गया है कि सरहद मौजा लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया के खसरा संख्या 1008 रकबा 2.7680 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1010/7 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म वादीया के नाम की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसमें वादीया का नाम "भंवराई पत्नि अमरा" दर्ज है जबकि वादीया का सही नाम "भरपाई पत्नि अमरा" है।
3. तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब के साथ पटवारी पटवार हल्का लाम्बिया की फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया जिसमें उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है कि वादीया का सही नाम "भरपाई पत्नि अमरा" है।
4. वादी के साक्ष्य शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। वादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में सशपथ कथन किया कि ''वादग्रस्त आराजी में मुझ वादीया का भंवराई पत्नि अमरा दर्ज है। जबकि मुझ वादीया का सही व वास्तविक नाम भरपाई पत्नि अमरा है।'' जिसे संशोधित किया जावे।
5. वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा लाम्बिया के खसरा संख्या 1008 व 1010/7 की जमाबन्दी में वादीया का नाम भंवराई पत्नि अमरा दर्ज है।
6. वादीया ने अपने राजकीय दस्तावेजात यथा वादीया के राशन कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श–3, परिवार जनआधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श–4, वादीया के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श–5, वादीया की RMGB बैंक डायरी जिसके खाता संख्या 83008400083 की फोटोप्रति प्रदर्श–6 में वादीया का सही नाम "भरपाई पत्नि अमरा" दर्ज है।

वादीया के वाद पत्र, तहसीलदार–जैतारण के जवाब दावा एवं संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट, वादी के साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह साबित होता है, भंवराई एवं भरपाई एक ही महिला है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी काश्तकारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने स्वयं के नाम में त्रुटि एवं विसंगति को दूर करवाकर या हटवाकर अपना वास्तविक सही एवं दस्तावेजी नाम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को शुद्ध करवाए जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, जवाब दावें एवं साक्ष्य–सबूतों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में उनके नाम को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम **''भरपाई पत्नि अमरा''** दर्ज किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार

12/3/24

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला–ब्यावर

किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाम्बियां, पटवार हल्का लाम्बियां तहसील जैतारण जिला–ब्यावर में वादीया की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर–1008 रकबा 2.7680 बारानी दोयम, एवं खसरा नम्बर 1010/7 रकबा 0.6070 बारानी दोयम के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टी **''भंवराई पत्नि अमरा''** के स्थान पर **''भरपाई पत्नि अमरा''** दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)